<u>फर्द अहकाम</u>

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

जयपाल सिंह वगै0 बनाम चैन सिंह वगै0 GCMS-2025/238

मुकदमा नम्बर :– 86/ 2025 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	21.07.2025	प्रार्थीगण की ओर से प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 के तहत पेश हुआ। प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थीगण के वकील ने अपनी अंतरिम बहस प्रार्थना पत्र में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड व दस्तावेजात के अवलोकन से पत्रावली में गुवावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है अतः प्रार्थीगण की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तलबी आगामी पेंशी दिनांक ...25/7/25... को पेश हो।	
	25/7/25	पत्रावली पेश हुई। न्यायालय का समय समाप्त होने तक वकील प्रार्थी को बार-बार आवाज दिलायी गयी। वकील प्रार्थी असालतन व वकालतन अनुपस्थित है अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो तथा आफिस दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	